


तारीख हुकम	फर्द अहकाम (नियम 15) हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज प्रेम जैन बनाम लोक सूचना अधि० एवं अति० जिला कलक्टर धौलपुर प्रथम अपील, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 (मु०संख्या 10/2024) (जीसीएमएस न० 2024/29)	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तारीख में जारी हुये
22.04.2024	<p>           अपीलान्त अनुपस्थित। पैरोकार सरकार उपस्थित। अपीलान्त ने यह प्रथम अपील सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत लोक सूचना अधिकारी एवं अति० जिला कलक्टर धौलपुर द्वारा वांछित सूचना समय अवधि में उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण प्रस्तुत की है। लोक सूचना अधिकारी एवं अति० जिला कलक्टर धौलपुर को अपील की प्रति भिजवाई जाकर उनसे टिप्पणी प्राप्त की गई। लोक सूचना अधिकारी एवं अति० जिला कलक्टर धौलपुर ने अपने पत्र क्रमांक: प्रथम अपील/आर टी आई /2024/61 दिनांक 15.04.2024 के द्वारा प्रस्तुत टिप्पणी/रिपोर्ट में अवगत कराया है कि अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत चाही गई सूचना, अपीलार्थी को उनके कार्यालय के पत्र क्रमांक सम्पर्क/सूचना अधि./2024/58 दिनांक 09.04.2024 के द्वारा भिजवाई जा चुकी है जिसके पत्र की प्रति प्रस्तुत की है।         </p> <p>           अतः हमने लोक सूचना अधिकारी एवं अति० जिला कलक्टर धौलपुर द्वारा प्रस्तुत टिप्पणी/रिपोर्ट का अवलोकन किया। अपीलान्त द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत चाही गई वांछित सूचना अपीलान्त को लोक सूचना अधिकारी एवं अति० जिला कलक्टर धौलपुर के पत्र क्रमांक सम्पर्क/सूचना अधि./2024/58 दिनांक 09.04.2024 के द्वारा भिजवाई जा चुकी है जिसके पत्र की प्रति संलग्न कर प्रस्तुत की है। प्रकरण में आगे कार्यवाही किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। अतः प्रथम अपील, अपीलान्त इसी स्तर पर निस्तारित की जाती है। निर्णय की प्रति अपीलान्त को उपलब्ध कराई जावे। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो नम्बर से कम की जावे।         </p>	 (श्री निधि बी टी) जिला कलक्टर